संo — /XXIV(1) /2014–14 / 2014

प्रेषक,

डॉ0 एम0सी0 जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक)

देहरादूनः दिनांकः 25 जुलाई, 2014

विषयः वित्तीय वर्ष 2014–15 में महिला समाख्या योजना हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–अर्थ–2/6445–46/5क(02)02/2014–15 दिनांक 04–07–2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र सं F.No.7-10/2014-EE-7 दिनांक 19.06.2014 द्वारा महिला समाख्या योजना (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना) हेतु सामान्य हैड में रू0 100.00 लाख, एस0सी0एस0सी0पी0 में रू0 36.00 लाख, टी0एस0पी0 में रू0 4.00 लाख, कुल रू0 140.00 लाख की धनराशि अवमुक्त होने के दृष्टिगत संलग्नक–01 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान–11 (सामान्य), अनुदान सॅ0–30(एस0सी0एस0पी0) एवं अनुदान सॅ0–31(टी0एस0पी0) में कुल रू0 **1,40,00000.00 (एक करोड़ चालीस लाख)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) वित्त विभाग के शासनादेश सॅ0 318/XXVII(1)/2013 दिनांक 18–03–2014 में वर्णित शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) संगत योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुपालन के साथ–साथ व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रकियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(6) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

....2/...

(7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(8) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

02– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11, 30 एवं अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबंधित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

03– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–84(P)/XXVII(3)/2014-15 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
सचिव।

सं0 855 /XXIV(1) /2014–14/2014/ तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
04. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, नूरखेड़ा देहरादून।
05. राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उत्तराखण्ड, देहरादून।
06. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10.. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 तोमर)
संयुक्त सचिव।